संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

4666

भोपाल,दिनांक:- 4/10 ~~/09~~/2023

क्रमांक /टीसी/117/बालाघाट/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बालाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	नजूल शीट क्रमांक	प्लाट क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	बालाघाट तहसील एवं जिला बालाघाट	306	288	0.2360	0.2360	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक **एवं मार्ग**	**वाणिज्यिक एवं मार्ग**

शर्त :-

1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में काली पुतली से जयस्तंभ मार्ग (कटंगी मार्ग) एवं पूर्व दिशा में काली पुतली से अम्बेडकर चौक मार्ग (गोंदिया मार्ग) स्थित है। इन मार्गों की चौड़ाई बालाघाट विकास योजना, 2021 के अनुसार 24.00 मीटर रखना आवश्यक होगा।
2. आवेदित भूमि के दक्षिण पश्चिम दिशा में जेल परिसर से लगकर 6.30 मीटर चौड़ा वर्तमान मार्ग है। नियोजन की दृष्टि से इस मार्ग की चौड़ाई 7.50 मीटर रखना आवश्यक होगा।
3. आवेदित भूमि से लगकर एवं चौपाटी के पश्चिम दिशा में 4.25 मीटर चौड़ा पाथवे स्थित है। नियोजन की दृष्टि से पाथवे की चौड़ाई 4.50 मीटर रखना आवश्यक होगा।
4. स्थल पर स्थित धार्मिक स्थल को यथास्थिति सुरक्षित रखना तथा पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
5. वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, **2012** एवं बालाघाट विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगें।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\laxmikant\New 23 k 1 kha.docx